Ph.:- 01572-248009

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

SHIV SINGHPURA HOUSING BOARD, NAWALGARH ROAD SIKAR - 332001

RPCB/RO-Sikar/Legal 191/ 886

Date: 14/10/2020

To,

The Register General
National Green Tribunal
Centeral Zonal Bench,
Bhopal-462011 (M.P.)

Sub:- Report of joint committee constituted in O.A. No.27/2019 (CZ) in the matter of Jagdish Gurjar V/s Assistant Conservator of Forest & Others.

Ref:- Hon'ble NGT order dated 13.07.2020.

Sir,

With reference to above, please find enclosed herewith report of joint committee constituted in O.A. No.27/2019 (CZ) in the matter of Jagdish Gurjar V/s Assistant Conservator of Forest & Others. Submitted for kind consideration please.

Yours Sincerely,

Encl:- As above

(Neeraj Sharma)

Nodal Officer

<u>REPORT OF JOINT COMMITTTEE CONSTITUTED IN O.A. NO. 27/2019 (CZ) IN THE MATTER OF JAGDISH GUJAR V/S ASSISTANT FOREST CONSERVETOR & OTHERS ORDER DATED 13.07.2020 PASSED BY HON;BLE TRIBUNAL</u>

1. That Hon'ble National Green Tribunal has been pleased to passed order dated 13.07.2020 and constituted a joint committee consisting:-

    i. Assistant Forest Conservator, Sikar

    ii. Collector, Sikar

    iii. State Pollution Control Board.

    Hon'ble Tribunal directed the aforesaid committee to visit the place and submit the action taken report within six weeks. The State Pollution Control Board will be a nodal agency for coordination and logistic support.

2. That in pursuance to order dated 13.07.2020 Assistant Forest Conservator, Sikar, State Pollution Control Board appointed Regional Officer, Sikar and District Collector, Sikar appointed Sh.

उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना (सीकर)

सहायक वन संरक्षक

Sadhu Ram Jat, Sub Divisional Officer, Neem Ka Thana.A copy of the orders are submitted herewith and marked as **Annexure-1.**

3. That Assistant Forest Conservator, Sikar has submitted his factual report dated 19.08.2020. The details given by them Sh. Rameshwar Lal Gujar filed appeal on 05.08.2019 in Revenue Court, Sikar and Hon'ble Rajasthan High Court, Jaipur. A copy of the factual report is submitted herewith and marked as **Annexure-2.**

4. That, thereafter, it has been decided that a joint inspection should be held by the joint committee as under:-

   1. ***Sub Divisional Officer (nominated by the District Collector, Sikar).***
   2. ***Assistant Forest Conservator, Sikar***
   3. ***Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Sikar.***

   In pursuance to aforesaid decision a joint inspection was held on 02.09.2020. Prior to aforesaid joint inspection proper

उपखण्ड अधिकारी
नीम का ... (सीकर)

(वी.एस. कविया)
सहायक वन संरक्षक
सीकर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सीकर

acknowledgement/information has been given to the Applicant Shri Jagdish Gujar through SMS and Mobile conversation. It is further submitted that, thereafter, the Committee Members inspected encroachment of forest land by Sh. Rameshwar Lal Gujar. The committee also took photograph of the site inspection which are annexed along with joint inspection report dated 02.09.2020. A copy of the joint inspection report dated 02.09.2020 along with Photograph is submitted herewith and marked as **Annexure-3**.

Report is being submitted for kind perusal of Hon'ble Tribunal.

(Sadhu Ram Jat)
SDO, Neem Ka Thana
उपवन संरक्षक
नीम का थाना (सीकर)

(Neeraj Sharma)
(Regional Officer)
R.S.P.C.B., Sikar
(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सीकर

(Virendra Singh Krishnia)
ACF, Sikar
(वी. एस. कृष्णियां)
सहायक वन संरक्षक

(ANNEX-1)

(1)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
Phone: 5101871, 5101872, EAPBX: 5159600, 5159699 FAX: 5159694-97

SPEED-POST

NGT-MATTER
MOST URGENT

No.F.10 (314) RPCB/Legal/NGT/ 2019/482 Dated: 2-9-2020

Regional Officer,
Regional Office,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Sikar,

Sub:- Compliance of Hon'ble NGT order dated 13.07.2020 in Original Application 27/2019 Jagdish Gujjar Vs Assistant Conservator of Forest & Others passed by the Hon'ble NGT.

Ref:- Hon'ble NGT order dated 13.07.2020.

Sir,

With reference to above subjected matter and referred order it is to inform that the Hon'ble NGT has passed order dated 13.07.2020 (Copy enclosed along with copy of complaint) inter-alia as follows;-

"By filing the present application, it is alleged that the land situated in khasra no. 1164, Village Bihar, Tehsil Sikar, Rajasthan is a forest land and non-applicant no.3 encroached the forest land and build up a house against which the applicant has made a compliant and on inquiry the Forest Department seized the property of non-applicant no.3 and put lock on it and pasted notice that the said property is forest property. Due to certain political influence the same has again been returned to non-applicant no.3 and thus, issue of environment has been raised by the applicant for encroachment of the forest land and cutting of the forest trees.

1. We deem it just and proper to call a report from a Joint Committee consisting of:- (i) Assistant Forest Conservator, Sikar, Rajasthan;
(ii) Collector Sikar;
(iii) State Pollution Control Board.

2. The Committee is directed to visit the place and submit the action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

3. The report in the matter be filed by the Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the members of the Committee within a week."

In view of above, you are hereby appointed as Nodal Officer on behalf of the State Board with the direction to ensure the compliance of Hon'ble NGT order dated 13.07.2020 and submit the compliance report to this office also.

Encl: As above

Yours sincerely,

Member Secretary

(2)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर–332001; Ph. No. 01572-274094; email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ( ) विधि / उ.व.स.सी / 2020–21 / 7779-81 दिनांक : 27.8.2020

निमित:–

उप खण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना।
सहायक वन संरक्षक,
सीकर।
क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
सीकर।

विषयः–ओरिजनल एप्लीकेशन नम्बर 27 / 2019(सीजे) जगदीश गुर्जर बनाम सहायक वन संरक्षक एवं अन्य।

संदर्भः–माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 13.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2020 में नीमकाथाना तहसील क्षेत्र के ग्राम बिहार के खसरा नम्बर 953 (हाल 1164) के रक्षित वन भूमि पर श्री रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम, जाति गुर्जर, निवासी बगडावा, तहसील–नीमकाथाना, जिला–सीकर द्वारा पक्का अतिक्रमण किये जाने पर संयुक्त कमेटी का गठन कर वास्तविक एवं कार्यवाही प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये है। इस संबंध में श्रीमान् ज़िला कलक्टर, सीकर द्वारा दिनांक 02.09.2020 को गठित कमेटी को उक्त स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त कमेटी दिनांक 02.09.2020 को प्रातः 11.00 एएम पर वन विभाग क्षेत्रीय वन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में उपस्थित होवे, ताकि निर्धारित समय पर राजकार्य पूर्ण किया जाकर रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सैन्ट्रल जॉन, भोपाल को भिजवायी जा सकें।

भवदीय,

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक,
सीकर

क्रमांक : एफ ( ) विधि / उ.व.स.सी / 2020–21 / 7782 दिनांक : 27.8.2020

प्रतिलिपि श्रीमान् जिला कलक्टर, सीकर को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक,
सीकर

(3)

कार्यालय टिप्पणी (Note Sheet)

32. शाखा प्रभारी (विधि) अवगत करावें कि इस मामले हेतु जिला कलेक्टर, मही. सीकर से तिथि निर्धारण हेतु पत्रांक दिनांक से लिखा गया है। तिथि निर्धारित होने के पश्चात् अवगत करावें।

[signature]

33. DA

महोदय

विषय अन्तर्गत में निवेदन है कि इस कार्यालय क्रमांक 1352 दिनांक 18-8-20 के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सीकर को तिथि निर्धारण हेतु लिखा गया है। अभी तक कमेटी गठन एवं तिथि निर्धारण नहीं है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत है

[signature]

34. T.

34. We may wait for some time.

[signature] (वी. एस. ...) सहायक वन ...

DA

35 DCF

ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 27/2019 (सीजे) जगदीश गुर्जर बनाम सहायक वन संरक्षक सीकर एवं अन्य में गठित कमेटी जिला कलक्टर, सहायक वन संरक्षक एवं राज्य पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड को दिनांक 13.7.2020 के निर्णयानुसार मौका निरीक्षण रिपोर्ट माननीय NGT को भिजवानी है जिसमें नोडल राज्य प्रदूषण मण्डल है, अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण मौका की तिथि निर्धारण हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर प्रस्तुत है।

36. जिला कलक्टर महो० Inspection to be conducted by SDM Rngt, ACF & RO PCB Sikar on 02/09/2020 26/8/20

[signature] 26/8/2020

ANNEX – II (4)

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर–332001; Ph. No. 01572-274094; email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ( ) विधि / उ.व.स.सी / 2020–21 / 7390 दिनांक :- 19-8-2020

निमित:–

उप वन संरक्षक,
सीकर।

विषय:–ओरिजनल एप्लीकेशन नम्बर 27 / 2019 (सीजे) जगदीश गुर्जर बनाम सहायक वन संरक्षक एवं अन्य।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में विचाराधीन ओरिजनल एप्लीकेशन नम्बर 27 / 2019 (सीजे) जगदीश गुर्जर बनाम सहायक वन संरक्षक एवं अन्य में तथ्यात्मक प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह है कि ग्राम बिहार के गत खसरा नम्बर 953 (हाल 1164) कि रक्षित वन भूमि पर श्री रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–बगडावा, तहसील–नीमकाथाना, जिला–सीकर द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण पाये जाने पर दिनांक 30.05.2018 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 91 के तहत प्रकरण तैयार कर सहायक वन संरक्षक, सीकर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सीकर के न्यायालय द्वारा सुनवाई कर दिनांक 11.07.2018 को निर्णय सुनाते हुये निर्देश दिया कि प्रतिवादी रामेश्वर पुत्र सुरजाराम गुर्जर को ग्राम बिहार के खसरा नं. 953 (हाल 1164) की रकबा 0.1509 है0 पर अतिक्रमण करने पर अतिकर्मी को मौके से बेदखल किया जावे तथा शास्ति रूपयें 200 अधिरोपित की गई। वादी वन भूमि को कब्जे सरकार लेवे एवं शास्ति वसूल कर राजकोष में जमा करावे।

2. यह है कि श्री रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–बगडावा, तहसील–नीमकाथाना, जिला–सीकर द्वारा न्यायालय सिविल न्यायधीश नीमकाथाना में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 56 / 2018 एवं दावा स्थाई निषेधाज्ञा संख्या 69 / 18 न्यायालय सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना में दिनांक 09.07.2018 को प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में दिनांक 16.03.2019 को प्रार्थना पत्र

खारिज कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण न्यायालय अपर जिला कलक्टर, सीकर में विचाराधीन है अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। वास्ते जवाब दिनांक 30.05.2019 को पत्रावली पेश हो। प्रकरण में विभाग की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र एवं दावा स्थाई निषेधाज्ञा में आगामी पेशी दिनांक 11.08.2020 को नियत है। जो वर्तमान में तनकी में चल रहा है।

3. यह है कि न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सीकर के निर्णय दिनांक 11.07.2018 के विरूद्ध अपील प्रार्थी श्री रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–बगडावा, तहसील–नीमकाथाना, जिला–सीकर ने न्यायालय अपर जिला कलक्टर, सीकर में दिनांक 20.07.2018 को अपील संख्या 93/2018 प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील में दिनांक 23.07.2018 को न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश दिया गया। दिनांक 28.02.2019 को उक्त स्थगन आदेश दिनांक 23.07.2018 को निरस्त कर दिया गया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील 93/18 को दिनांक 19.07.2019 को अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया गया।

4. यह है कि माननीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर, सीकर के निर्णय दिनांक 19.07.2019 के विरूद्ध श्री रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–बगडावा, तहसील–नीमकाथाना, जिला–सीकर द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर में दिनांक 05.08.2019 को अपील दायर कर दी। जिसकी अपील संख्या 76/2019 है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर द्वारा दिनांक 08.08.2019 को वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखते हुये एवं प्रार्थी के आवासीय मकानों में किसी प्रकार से तोडफोड न करे के आदेश पारित किये गये है।

5. यह है कि उक्त अपील संख्या 76/2019 रामेश्वर लाल बनाम सहायक वन संरक्षक, सीकर को कार्यालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के पत्र संख्या 6697 दिनांक 30.12.2019 से श्रीमान संभागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में भिजवायी गई हैं, जिसमें श्रीमान संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा आगामी सुनवाई तिथि कैम्प सीकर दिनांक 21.08.2020 नियत है।

6. यह है कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के आदेश दिनांक 08.08.2019 को निरस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय, संभागीय आयुक्त, जयपुर के कैम्प कोर्ट सीकर में दिनांक 21.08.2020 को राजकीय अभिभाषक श्री विधाधर सुंडा द्वारा आवश्यक कार्यवाही करायी जा रही है।

7. यह है कि श्री रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–बगडावा, तहसील–नीमकाथाना, जिला– सीकर ने माननीय राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में अपील संख्या 12506/2019 रामेश्वर लाल बनाम राजस्थान राज्य दायर की हुई है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.10.2020 है।

अतः आलौच्य प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर दिनांक 08.08.2019 को जारी स्थगन आदेश एवं विभिन्न न्यायालयों में जैरकार होने के कारण श्री रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–बगडावा, तहसील–नीमकाथाना, जिला– सीकर को वन भूमि से बेदखल न्यायालय के निर्णय उपरान्त ही किया जा सकेगा। प्रकरण की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट श्रीमान् को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
सहायक वन संरक्षक,
सीकर

(7)

८

फार्म (बी)

R.N. 15

कार्यालय वन बन्दोबस्त/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर

खसरा बन्दोबस्त बाबत वन खण्ड [illegible] रेन्ज

नाम ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला सीकर सम्वत् वर्ष

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	खातेदार अथवा ग्रिकमी खातेदार का नाम	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
[illegible]	[illegible]	गै म [illegible]	मकबूजा वन-विभाग	[illegible]
[illegible] 11	[illegible]	—11—	—11—	—11—
[illegible] 11	[illegible]	[illegible]	—11—	[illegible]
[illegible] 11	[illegible]	गै म [illegible]	—11—	[illegible]
	[illegible] = [illegible]	[illegible] .039		Malhotra [illegible] 4/8/64

Assistant Forest Settlement Officer, Jaipur (Rajasthan)

प्र प त्र "औ"

वि ज्ञ प्ति

चूंकि इससे साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा २६ की उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में दिया जा चुका है;

अतः, अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २६ की उप-धारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
S.D
शासन सचिव।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-खंड	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल एकड़ों में	विवरण
१	२	३	४	५	६
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	सीमा विवरण परिशिष्ट - अ, संलग्न है।

Attested

Rcl - 2085/2

एडवोकेट

(5)

14-6-2018

जमाबन्दी (खेवट/खतौनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- बिहार
पटवार हल्का :- शिमली
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- डाबला
तहसील :- नीमकाथाना
जिला :- सीकर

सम्वत :- 2070 - 2073
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 363
खाता संख्या पुराना :- 313

काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :-

वन विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
616	6.2400	गै.मु.वन	6.2400	0.00			
620/1185	0.7000	गै.मु.वन	0.7000	0.00			
621/1186	0.2700	गै.मु.वन	0.2700	0.00			
663	18.4800	गै.मु.वन	18.4800	0.00			
664/1183	0.7200	गै.मु.वन	0.7200	0.00			
788	0.3900	गै.मु.वन	0.3900	0.00			
1154/1178	1.9000	गै.मु.वन	1.9000	0.00			
1164	1.3000	गै.मु.वन	1.3000	0.00			
1165	0.6800	गै.मु.रूडक	0.6800	0.00			
1166	8.9900	गै.मु.वन	8.9900	0.00			
कुल खसरे - 10	39.6700		39.6700	0.00			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 28/05/2018

नामान्तरकरण अद्यतन दिनांक:- 26/02/2018

NIC

एडवोकेट

14-6-2018

(5) ....

(ANNEX-III) (10)

मौका पंचनामा

स्थान:- चुहरीढाणी, बगड़ावा ग्राम- बिहार

दिनांक - 2-9-2020

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल में विचाराधीन ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 27/2019 (सीजेड) जगदीश गुर्जर बनाम सहायक वन संरक्षक व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13-7-2020 की पालना में गठित कमेटी के द्वारा आज दिनांक 2-9-2020 को कमेटी के सदस्यों द्वारा मौके पर उपस्थित हुए:

(i) उप खण्ड अधिकारी, नीम का थाना

(ii) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

(iii) सहायक वन संरक्षक, सीकर

कमेटी के सदस्यों द्वारा मौके पर उपस्थित होकर ग्राम- बिहार के ताल खसरा नं० 1164 की वन भूमि पर स्थित अतिक्रमण द्वारा श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री सुरजाराम गुर्जर की भूमि का मौका मुआयना किया गया। मौके पर मुआयना करने पर उक्त अतिक्रमण ग्राम बिहार के खसरा नं० 1164 की वन भूमि पर होना पाया गया। मौके पर जी.पी.एस. कोऑर्डिनेट्स लिए गए जिसके आधार पर वन भूमि के 1000 वर्ग मीटर में कच्चा व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण होना पाया गया। अतिक्रमी द्वारा मौके पर दो मंजिला पक्का मकान का निर्माण किया गया है जिसमें कुल 8 कमरे व हाल होना पाया गया है एवम् मवेशियों

[signatures]

के लिए कच्चा टीनशेड बनाया हुआ है। अतिक्रमी की भूमि पर एक ट्रैक्टर एवं एक जीप पाई गई। अतिक्रमी के परिवार में कुल 13 महिला, पुरुष व बच्चे रहना बताया गया है एवं 9 मवेशी (भैंस, गाय, बकरी) बताई गई। अतिक्रमी के घर में बिजली का कनेक्शन रामेश्वर गुर्जर के नाम से है एवम् पानी की व्यवस्था टैंकर द्वारा बाहर से की जा रही है।

सम्पूर्ण मौका मुआयना प्रार्थी श्री जगदीश गुर्जर की उपस्थिति में किया गया एवम् मौके पर फोटोग्राफ भी लिए गए। Co-ordinates के आधार पर Google Earth पर अतिक्रमित क्षेत्र की KML तैयार की गई जो संलग्न है।

मौका पंचनामा, मौके पर तैयार कर, उपस्थित सभी को पढ़कर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर किए गए।

1/9/2020 — उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

1/9/2020 — क्षेत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियंत्रण मंडल
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सीकर

1/9/2020 — सहायक वन संरक्षक
(वी. एस. कृष्णा)
सहायक वन संरक्षक
सीकर

N Saini
क्षेत्रीय वन अधिकारी
पाटन (सीकर)

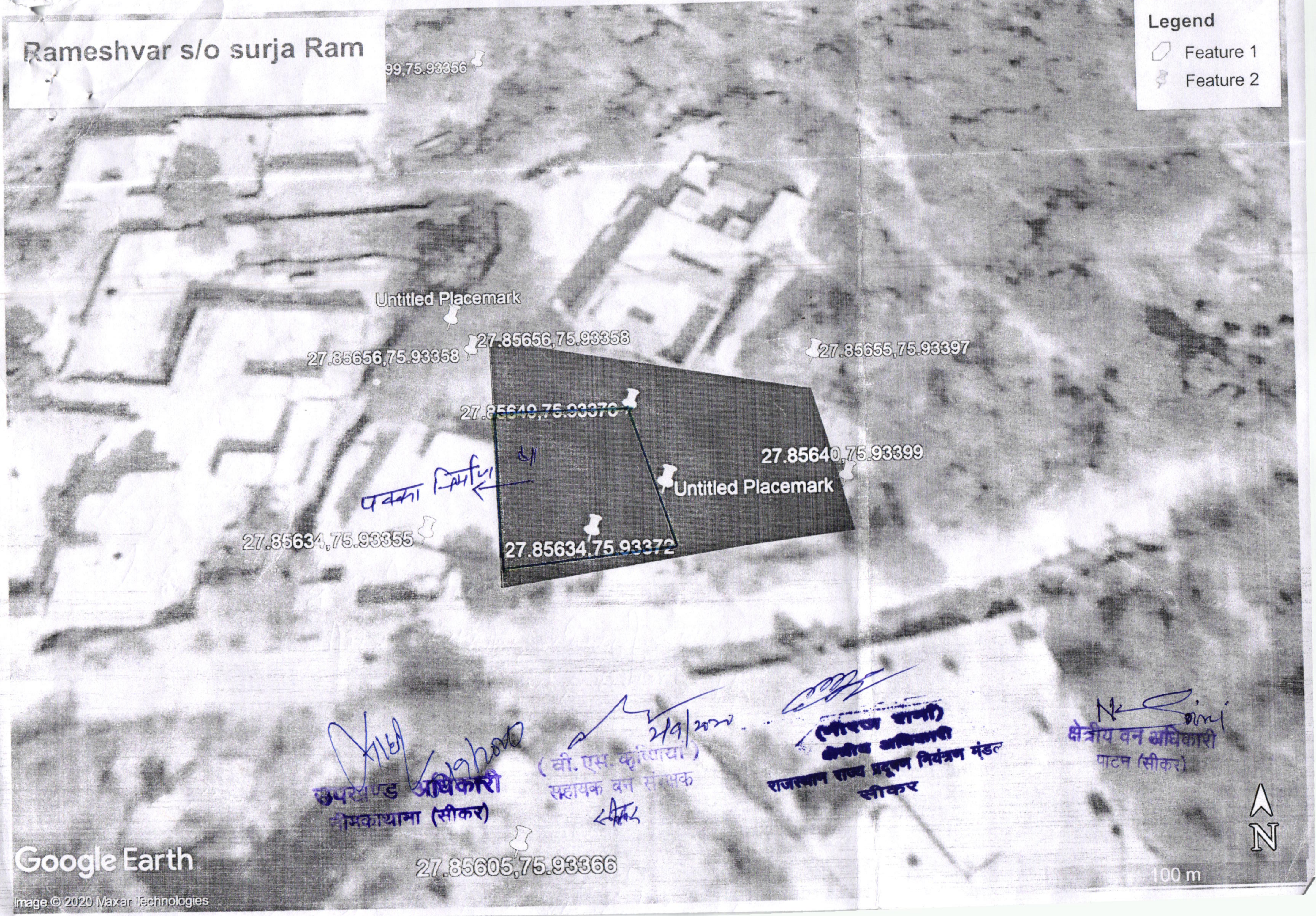
Rameshvar s/o surja Ram
Legend
Feature 1
Feature 2
99,75.93356
Untitled Placemark
27.85656,75.93358
27.85656,75.93358
27.85655,75.93397
27.85640,75.93399
Untitled Placemark
पक्का निर्माण
27.85634,75.93355
27.85634,75.93372
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)
(वी. एस. कुंडिया)
सहायक वन संरक्षक
सीकर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सीकर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
पाटन (सीकर)
Google Earth
27.85605,75.93366
100 m
N
Image © 2020 Maxar Technologies

(13)

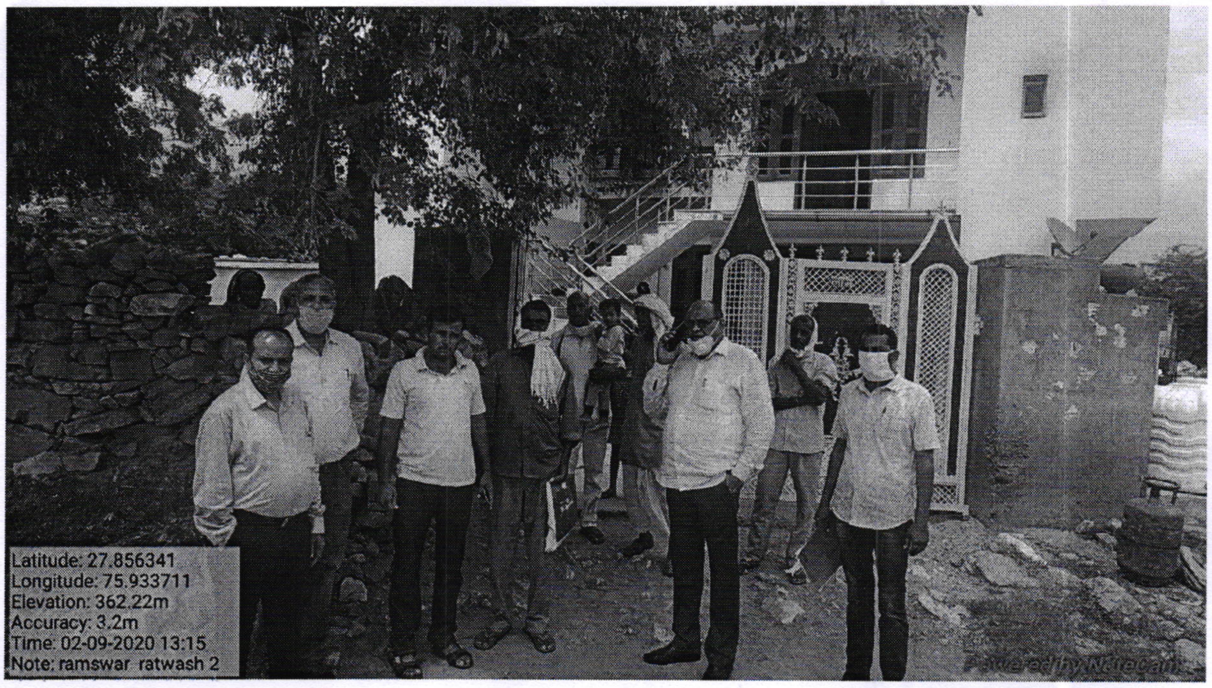

House of Jagdish Gurjar

House of Jagdish Gurjar

House of Jagdish Gurjar